

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टे/(एफ-1286मांगपत्र)/2017/ 646

दिनांक : 26/9/17

आदेश

अखिल राजस्थान लैबोरेट्री टेक्नीशियन कर्मचारी संघ, राजस्थान द्वारा दिनांक 07.09.17 से 09.09.17, एवं तदन्तर अवधि के सामूहिक अवकाश अवधि को उनके अवकाश कोष में उपलब्ध (शेष) उपार्जित अवकाश में समायोजित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 1589 दिनांक 26.09.17 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

ए०

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।

क्रमांक:- ई-33/लै.टे/(एफ-1286मांगपत्र)/2017/ 646

दिनांक 26/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3) विभाग जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
5. समस्त अधीक्षक सामूहिक चिकित्सालय संघ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें-जोन।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।